न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारी:– श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 13/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
गोपालसिंह पुत्र अनोपसिंह, जाति राजपूत, निवासी पल्ली द्वितीय, तहसील लोहावट , जिला फलौदी		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 21.02.2021 को श्रीमान तहसीलदार लोहावट द्वारा मुकदमा नंबर 113/2021 बअनवान सरकार बनाम गोपालसिंह में पारित किया गया।

उपस्थित वकील –:

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री हर्ष सोनी उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर से:– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक:– 29/8/2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र संख्या 113/2021 निर्णय दिनांक 21.02.2021 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट के विरूद्व एक रिपोर्ट तहसीलदार लोहावट को पेश की गई कि अपीलांट द्वारा ग्राम पल्ली द्वितीय के सरकारी भूमि खसरा नंबर 1373 की 10×10 अर्थात 100 वर्गफुट गैर मुमकीन औरण की जमीनपर छतरी बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर तहसीलदार लोहावट द्वारा दिनांक 06.11.2021 को प्रार्थी अपीलांट के विरूद्व प्रकरण सरकार बनाम गोपालसिंह अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट दर्ज कर प्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी किया और दिनांक 21.02.2021 को निर्णय कर प्रार्थी अपीलांट को 50 रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित कर अतिक्रमण बेदखल करने के आदेश पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को जारी कर दिये जो तहसीलदार लोहावट का आदेश व निर्णय सरासर गलत व विधिविरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर
फलौदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री हर्ष सोनी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार लोहावट से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम पल्ली द्वितीय तहसील औसिया वर्तमान तहसील लोहावट के खसरा नंबर 1373 रकबा 30.06 बीघा भूमि गैर मुमकीन औरण की भूमि है, जिसमें से माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने आंवटन आदेश क्रमांक/प.12(3) शमशान/2015 दिनांक 28.07.2015 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा 2 बीघा भूमि को शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित कर क्षतिपूर्ति खसरा नंबर 257 रकबा 65 बीघा में से की तथा ग्राम पंचायत को उक्त आरक्षित की गई 2 बीघा भूमि पर मनरेगा से वर्षा रोपण व वनस्पति संरक्षण हेतु बांउड्रीवाल बनाने के आदेश दिए। अपीलाधीन आदेश में पटवारी हल्का द्वारा 10×10 फुट छतरी का निर्माण के आरोप प्रार्थी/अपीलांट पर लगाये वे सरासर झूठ है, मौके पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का छतरी का निर्माण कर अतिचार नहीं किया जा रहा है। खसरा नंबर 1373 में मौके पर हुई बाउड्री व तारबन्दी माननीय जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत पल्ली द्वितीय द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.4.2018 को सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित कर बाउड्रीवॉल व तारबन्दी का निर्माण करवाया गया है। मौके पर स्थित 6×6 फुट का किया हुआ निर्माण किसी प्रकार की छतरी नहीं है। वह राजपूत समाज की धार्मिक भावना व श्रद्धा का पुजा पाठ का स्थान भोमिया का थड़ा है। जो सेटलमेंट के पूर्व से ही बना हुआ है। प्रार्थी/अपीलांट उक्त भोमियाजी के थड़े का पुजारी है जो नियुक्त है, उस स्थान पर प्रार्थी/अपीलांट व ग्रामवासीयों द्वारा पुजा अर्चना रातिजोगा, जागरण इत्यादि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, जो किसी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिचार नहीं है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1373 रकबा 2 बीघा गैर मुमकिन शमशान ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली भूमि है जिस पर तारबन्दी व बाउड्रीवॉल का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया है। उक्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार लोहावट को ग्राम पंचायत को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बना ग्राम पंचायत का जबाव प्राप्त होने के पश्चात ही किसी प्रकार का निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जांच एवं अपीलांट विधिवत सुनवाई एवं सुने बिना पारित निर्णय दिनांक 07.07.2023 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार लोहावट से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का पल्ली द्वारा ग्राम पल्ली द्वितीय के खसरा नंबर 1373 रकबा 4.58 हैक्टयर में 10×10 आकार के छतरी निर्माण की रिर्पोट प्रस्तुत की। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 में कार्यवाही करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिर्पोट प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता महिपाल सिंह एवं अन्य द्वारा वकालातनामा पेश किया जाकर जबाब हेतु समय चाहा। उसके उपरांत दिनांक 04.01.2022 को अप्रार्थी की ओर से लिखित जबाब भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया। जबाब में अंकित किया गया कि उक्त खसरा नंबर की भूमि में 6×6 कदीमी भूरिया जी धड़ा सेटलमेंट से पूर्व से बना हुआ है।

जिला कलक्टर
फलौदी

जिसमें ग्रामवासी पूजा अर्चना करते है। प्रकरण सिविल कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा विकास अधिकारी से रिपोर्ट चाही गई। विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पल्ली द्वितीय , ग्राम पंचायत सरपंच से प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार लोहावट को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 21.02.2021 को अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित करते हुए एवं अतिक्रमित रकबे का 50 रूपये आर्थिक दण्ड का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबध में आदेश पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि विवादित स्थल की भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाकर रिपोर्ट मंगवाई जावे। इस संबध में कोई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक से नहीं मंगवाई गई। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है उक्त खसरे में से 2 बीघा भूमि, जो कि शमशान के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जा रही है, को जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/प.12(3) शमशान/2015 दिनांक 28.07.2015 दिनांक 28.07.2015 द्वारा सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत पल्ली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर 6×6 आकार का एक चबूतरा सेटलमेंट से पूर्व बना हुआ है। श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक–प.12(3) शमशान/2015/3592 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा खसरा नंबर 1373 में से से 2 बीघा भूमि शमशान हेतु आरक्षित की गई थी उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत पल्ली के पत्र क्रमांकः ग्रा.प. पल्ली/2018/19/SPL दिनांक 21.04.2018 द्वारा भूमि पर पौध रोपण कर तारबंदी का प्रस्ताव सहमति से पारित किया गया। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर 6×6 का पुराना चबूतरा बना हुआ था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा विवादिरत भूमि की समुचित पैमाइश व जांच नहीं कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा सेट–अपार्ट भूमि में निहित है या ओरण भूमि में निहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2021 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को पत्रावली इस आदेश से प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि की पैमाइश व जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं तदुपरान्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को हटाये जाने, बेदखली एवं पेनल्टी जुर्माना आदि की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/8/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी
फलौदी

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
फलौदी